न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 212/2025(GCMS : 2025/328)

इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पता छठी मंजिल, प्लॉट नम्बर 15, इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 44, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 व **शाखा कार्यालय** शॉप नम्बर 01, पहली मंजिल, जी ब्लॉक गुरूद्वारा रोड, नानक दरबार के पास, श्रीगंगानगर राजस्थान–335001

बनाम

1. **श्रीमती अंजू** पत्नी श्री कृष्ण लाल निवासी सुरजनसर भोपालपुरा, ग्राम पंचायत 1 एलएम, श्रीगंगानगर राजस्थान–335704
2. **श्री कृष्ण लाल** पुत्र श्री मनफूल निवासी सुरजनसर भोपालपुरा, ग्राम पंचायत 1 एलएम, श्रीगंगानगर राजस्थान–335704

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप कुमार गोदारा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण अंजू एवं कृष्ण लाल को ऋण सुविधा के रूप में 16,65,300/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 13.05.2024 को 18,57,862/– रूपये की ऋण राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी कृष्णलाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 30, बुक संख्या 314/2018, सुरजनसर, ग्राम पंचायत 1 एल. एम., तहसील सूरतगढ़, पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज है (चारो सीमाएं : उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – हजारीराम, पूर्व में – मदनलाल, पश्चिम में – भूरा राम)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण अंजू** ... **लाल** को ऋण सुविधा के रूप में 16,65,300/– रूपये (... लाख पैंसठ **हजार तीन सौ मात्र) की स्वी**... को प्रदान की थी **और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कृष्ण लाल ... अपनी अचल **सम्पत्ति पट्टा संख्या 30, बुक संख्या 314/2018, सुरजनसर, ग्राम पंचायत 1 एल. एम., तहसील सूरतगढ़, पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:42 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज है (चारो सीमाएं : उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – हजारीराम, पूर्व में – मदनलाल, पश्चिम में – भूरा राम), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कृष्ण लाल की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 30, बुक संख्या 314/2018, सुरजनसर, ग्राम पंचायत 1 एल.एम., तहसील सूरतगढ़, पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज है (चारो सीमाएं : उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – हजारीराम, पूर्व में – मदनलाल, पश्चिम में – भूरा राम), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के [illegible] 16.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible]04 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने की धारा 13(2) के [illegible] अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2024 को भिजवाये ग[illegible], जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्राप्त हो गये है, इसके **अतिरिक्त प्रार्थी** बैंक ने **धारा 13(2)** के **नोटिस** दो **समाचार पत्रों जनसत्ता एवं फाईनेंशियल एक्सप्रैस में दिनांक 29.12.2024 को प्रकाशित करवाया हैं, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **कृष्ण लाल** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक/कमपनी इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी कृष्ण लाल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल पट्टा संख्या 30, बुक संख्या 314/2018, सुरजनसर, ग्राम पंचायत 1 एल.एम., तहसील सूरतगढ़, पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज है (चारो सीमाएं : उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – हजारीराम, पूर्व में – मदनलाल, पश्चिम में – भूरा राम), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर